रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 1980/फाल्गुन 15, 1901
No. 84] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 1980/PHALGUNA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1980

का. आ. 145(अ)/18 एफ.ए./18 ए.ए./आई.डी.आर.ए. 80.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 128(अ)/18 कक/18 कक/उ. वि. वि. अ. 73, तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), मैसर्स कृष्णा सिन्डिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबंध 5 मार्च, 1973 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 146(अ)/18 कक/18 कक/उ.वि.वि.अ./78, तारीख 3 मार्च, 1978 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का, 5 मार्च, 1978 से दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए, प्रबंध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, यह राय होने पर कि सर्व साधारण के हित में यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति पूर्वोक्त सात वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त औद्योगिक उपक्रम पर अपना प्रबन्ध जारी रखे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबंध एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाए ;

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 29 फरवरी, 1980 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध दो वर्ष की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्तियों को निदेश देती है कि वह 5 मार्च, 1980 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम पर प्रबंध जारी रखे ।

[फा. सं. 2(1)/80-सी.यू.एस.]

र. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 1980

S.O. 145(E)/18FA/18AA/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73, dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973 ;

And, whereas, the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 146(E)/18FA/18AA/IDRA/78, dated the 3rd March, 1978, authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of two years from the 5th March 1978 ;

And, whereas, the Central Government, being of the opinion that it is expedient in the interests of the general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the period of seven years aforesaid, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of one year ;

And, whereas the said High Court, by its Order dated 29th February, 1980, permitted the authorised person to continue to manage the asid industrial undertaking for a further period of two years ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA, read with section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs the Authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year commencing from the 5th March, 1980.

[F. No. 2(1)/80-CUS]

B. ROY, Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980